वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)

संख्या-3/2017/1806/एक-5-2016-102/2015

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2017**

विषयः- मण्डलायुक्त कार्यालय बरेली के कतिपय निर्माण कार्य हेतु अवशेष अन्तर धनराशि की अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1989/12(भवन)-9/2011, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-23/एक-5- 2016-102/2015, 02 फरवरी, 2016 के द्वारा मण्डलायुक्त कार्यालय बरेली के कार्यालय भवन की दीवारों एवं फर्स की मरम्मत कार्य हेतु रू0 37.31 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 18.655 लाख तथा मण्डलायुक्त कार्यालय के विद्युत वायरिंग आदि कार्य हेतु रू0 15.83 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 7.915 लाख तथा मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर चहारदीवारी की मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य हेतु रू0 22.50 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 11.25 लाख की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप मण्डलायुक्त कार्यालय बरेली के कार्यालय भवन की दीवारों एवं फर्स की मरम्मत कार्य की निरन्तरता बनाये रखने एवं कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में 18.655 लाख (रूपये अठ्ठारह लाख पैसठ हजार पांच सौ मात्र) तथा मण्डलायुक्त कार्यालय के विद्युत वायरिंग आदि कार्य की निरन्तरता बनाये रखने एवं कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 7.915 लाख (रूपये सात लाख इक्यान्नबे हजार पांच सौ मात्र) तथा मण्डलायुक्त कार्यालय परिसर चहारदीवारी की मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य की निरन्तरता बनाये रखने एवं कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 11.25 लाख (रूपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 37.82 (रूपये सैतीस लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के मण्डल/ जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव।

<u>संख्या-3/2017/1806(1)/एक-5-2016-102/2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- जिलाधिकारी, बरेली/ मण्डलायुक्त बरेली
6- प्रबंधक निदेशक,/ निदेशक उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 /सम्बन्धित परियोजना प्रबंधक।
7- राजस्व अनुभाग-6/सहकारिता अनुभाग- 3
8- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।